30/1/26	पत्रावली पेश हुई। दावा वादी खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। [illegible] फैसल शुमार होकर नंबरान से कम होकर [illegible] का आदेश किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.05.04 13:07:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

(15)

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(औ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम करौली व इजलास

उनवान

1. सुगनी बेवा परमा
2. अमृतलाल } पूत्रान परमा
3. गोपाल }
4. पिन्टू नाबालिग जरिये मां वाली कुदरती सूरजबाई बेवा श्यामलाल आयु 15 साल सभी जाति मालीयान निवासीयान होली खिडकिया बाहर करौली हाल मैगजीन करौली

——**वादीगण**

बनाम

1. लक्ष्मीचंद पुत्र रामजीलाल जाति माली निवासी भट्टा गोदाम के पीछे करौली
2. कमलादेवी पत्नि बाबूसिंह जाति माली निवासी केशवपुरा करौली
3. भावनाशर्मा पत्नि राधेश्याम जाति ब्राहमण नि.तांबे की टोरी करौली
4. फूलसिंह पुत्र कमलसिंह जाति गुर्जर नि.राजपुर तहसील व जिला करौली (फौत)
5. तहसीलदार तहसील करौली
6. नरेश कुमार पुत्र विनोद कुमार महाजन निवासी करौली

——**प्रतिवादीगण**

दावा स्थायी निषेधाज्ञा व कब्जा वापसी बाबत

मुकदमा नं. 26/13

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी **श्री रामजीलाल अग्रवाल, एडवोकेट** मिनजानिब मुदई रूबरू **श्री नवल किशोर शर्मा, एडवोकेट** मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है अतः दावा वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निज .... मुबलिग .... बाबत .... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद निज वगरह ....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।
बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 30.1.26........को सन् 2026 को जारी की गई।

मुहर

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज.)

मुदई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना अर्जी		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Me
Date: 2026.05.04 13:07:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज.)

नोटः–इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली (राज0)

पीठासीन अधिकारी प्रेमराज मीना, उपखण्ड अधिकारी (RAS)

मु0न0:–26 / 13 तारीख रजु:–6.4.13

उनवान

1. सुगनी बेवा परमा
2. अमृतलाल } पूत्रान परमा
3. गोपाल
4. पिन्टू नाबालिग जरिये मां वाली कुदरती सूरजबाई बेवा श्यामलाल आयु 15 साल सभी जाति मालीयान निवासीयान होली खिडकिया बाहर करौली हाल मैगजीन करौली

––**वादीगण**

बनाम

1. लक्ष्मीचंद पुत्र रामजीलाल जाति माली निवासी भट्टा गोदाम के पीछे करौली
2. कमलादेवी पत्नि बाबूसिंह जाति माली निवासी केशवपुरा करौली
3. भावनाशर्मा पत्नि राधेश्याम जाति ब्राहमण नि.तांबे की टोरी करौली
4. फूलसिंह पुत्र कमलसिंह जाति गुर्जर नि.राजपुर तहसील व जिला करौली (फौत)
5. तहसीलदार तहसील करौली
6. नरेश कुमार पुत्र विनोद कुमार महाजन निवासी करौली

––**प्रतिवादीगण**

दावा स्थायी निषेधाज्ञा व कब्जा वापसी बाबत

–::निर्णय::– दिनांक:– 30/1/26

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण की खातेदारी व कब्जाकाश्त की भूमि आराजी खसरा नं0 6311 रकवा 1 वीघा 11 विस्वा एवम खसरा नं0 6312 रकवा 1 वीघा 11 विस्वा बाके कस्बा करौली तहसील करौली में स्थित है जिसको वादीगण करीब 30–35साल पुराने समय से लगातार काश्त करते चले आ रहे है और तभी से खातेदारी व कब्जाकाश्त में वादीगण चला आ रहा है। प्रमाण में जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत है। वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा नं0 6311 व 6312 के पडौस में [illegible] आराजी खसरा नं0 6304 व 6317 स्थित है जो वादीगण की जमीन से करीब [illegible] फुट निचाई पर है और वादीगण की जमीन की सीमा पर मिट्टी की डोल बनी हुई है। जिसको प्रतिवादी लक्ष्मीचंद ने दिनांक 18.3.13 को भूमाफियाओं को ले जाकर अवैध रूप से जेसीबी चलाकर मोके पर नष्ट कर दिया और प्रार्थी की खातेदारी वादिशा उत्तर पश्चिम दावा के साथ प्रस्तुत फोटो में गढे गडडू तक

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj M
Date: 2026.05.04 13:07:26 IST
Reason: SelfAttested

स्थित है जिसमें अवैध रूप से प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 लटठ के बल पर वादीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि में पूर्व से पश्चिम तक वादीगण की जमीन को दबाते हुए नींव भरने पर उतारू है क्योंकि वादीगण की खातेदारी व कब्जाकाश्त की उक्त विवादित जमीन को करीब छह फुट चौडाई में पूर्व से पश्चिम से दबाकर कब्जा करने पर तुले हुए है। दिनांक 18.3.13 को पुलिस में रिपोर्ट करने पर बामुशकिल रूके हैं। किन्तु अब दिनांक 23.3.13 को ऐलानिया धमकी दे चुके है कि हम तो उक्त वादीगण की खातेदारी कब्जाकाश्त की जमीन को लटठ के बल पर दबाकर नींच भरेंगे और वादीगण सुगनी अमृतलाल एवम अमृतलाल की पत्नि कमला से मारपीट कर चुके हैं। जिसकी रिपोर्ट थाना करौली में लंबित हैं। और आये दिन झगडा करने पर उतारू है मौके पर नींव भरने के लिए प्रतिवादीगण ने खण्डे भी डाल दिये हैं। जो वादपात्र में पेश फोटो से स्पष्ट है। इसलिए प्रतिवादीगण के इस प्रकार के कृत्य से वादीगण के हको पर भारी आघात है और अपूर्णीय क्षति है और इसलिए दावा पेश करना आवश्यक हुआ है। प्रतिवादी लक्ष्मीचंद ने हमारी खातेदारी व कब्जाकाश्त की भूमि को दबाते हुए प्लॉटो का गलत नक्शा जवाहर नगर के नाम से कशीद किया है। इसमें दिखाये गये प्लाट नम्बर 23 लगायत 35 हम वादीगण की करीब 6 फुट चौडाई एवं 426 फुट लम्बी जमीन को दबाने का इरादा बनाये हुए है इसलिए प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद कराने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण द्वारा आराजी खसरा नम्बर 6317 व 6304 के प्रस्तुत नक्शा में दर्शायी जमीन इलाके रकवे से अधिक है मौके के अनुसार बनाना बताये गया है जो गलत है। इसकी नाप भी कराने को तैयार नही है। क्योंकि वादीगण की खातेदारी व कब्जाकाश्त की जमीन को दबाने की बदयान्ति है। प्रतिवादी नं0 4 फूलसिंह व वादीगण मध्य आराजी खसरा नं 6311 बाबत् पूर्व से न्यायालय हाजा में दावा लंबित है। और गलत खातेदारी के आधार पर वादीगण से झगडा कर रहा है। इस संबंध में मौजूदा प्रकरण राजस्व मण्डल अजमेर में लंबित है किन्तू जमाबंदी में नाम दर्ज होने के वजह से पक्षकार बनाया गया है। खातेदारी मल्की तौर पर [illegible] है। विनायदावा दिनांक 23.3.13 को झगडा करने व ऐलानिया [illegible] की वादीगण की डोर को अवैध रूप से तोडने व अवैध रूप से नींव भरने की धमकी देने पर अन्दर हदूद अदालत हाजा पैदा हुआ और दावा अन्दर मियाद है। काबिज समाअत अदालत हाजा है। अंत दावा वादीगण डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी नंबर 1 ता 3 द्वारा जबाव दावा प्रस्तुत कर कथन

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.05.04 13:07:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

किया है कि आराजी खसरा नम्बर 6311 रकवा 1 वीघा 11 विस्वा एक मात्र वादीगण के खातेदारी व कब्जे काश्त की नही है अपितु उक्त आराजी वादीगण एवं पिन्टू पुत्र श्यामलाल एवं प्रतिवादी सं 4 फूलसिंह के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी है जो राजस्व जमाबंदी से स्पष्ट है किन्तु वादीगण ने इस तथ्य को छिपाया है और सहखातेदार पिन्टू को दावा में पक्षकार नही बनाया है वादीगण शुद्व हस्त से न्यायालय में नही आये है जो तथ्य दस्तावेज प्रमाण जमाबंदी से स्पष्ट है। आराजी खसरा नम्बर 6311 व 6312 के पडोस में प्रतिवादीगण की आराजी खसरा नम्बर 6304 व 6317 होना सही है शेष तथ्य जिस प्रकार तहरीर किये है गलत है स्वीकार नही। वादीगण एवं प्रतिवादीगण की भूमि के लेविल में एक फिट का अन्तर नही है ना ही वादीगण की जमीन की सीमा पर कोई मिटटी की डौल है ना ही प्रतिवादी लक्ष्मीचंद ने दिनांक 18.3.13 को किसी भूमाफिया को ले जाकर अवैध रूप से जेसीवी चलाकर डौल को मोके पर नष्ट किया है ना ही वादीगण की खातेदारी वदिशा उतर मिथ्या दर्ज किये है। वादीगण का यह कथन भी गलत है कि प्रतिवादी सं 1 ता 4 लटठ के बल पर वादीगण के खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि में पर्वू से पश्चिम तक वादीगण की जमीन को दबाते हुऐ नीव भरने पर उतारू है और वादीगण का यह कथन भी गलत है कि प्रतिवादीगण वादीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की उक्त विवादित जमीन को करीब 6 फुट चौडाई में पूर्व से पश्चिम से दबाकर कब्जा करने पर तुले हुए है वादीगण का यह कथन भी गलत है कि प्रतिवादीगण दिनांक 18.3.13 को पुलिस रिपोर्ट करने पर व मुश्किल रूके है और दिनांक 23.3.13 को ऐलानिया धमकी दे चुके कि नींव भरेगें। वादीगण ने उक्त समस्त तथ्य मिथ्या दर्ज किये है। सत्यता यह है कि वादीगण अत्यंत चालाक एवं लडाकू किस्म के व्यक्ति है और अपने खाते की जमीन से अधिक जमीन पर काबिज काश्त है। इसके बावजूद भी वादीगण हम प्रतिवादीगण की भूमि को दबाकर उस पर कब्जा करना चाहते है और इसी उददेश्य से वादीगण ने प्रतिवादी लक्ष्मीचंद व उसकी पत्नि के साथ मारपीट की जिसका मुकदमा दर्ज हुआ है तथा प्रतिवादीगण की जमीन को दबाने के उददेश्य से ही वादीगण ने झूठे तथ्यों के आधार पर यह दावा पेश किया है प्रतिवादीगण ने अपनी एवं वादीगण की भूमि की नाप कराने के लिए वादीगण से कई बार कहा तो वादीगण नाप नही होने देते है और मनमर्जी से प्रतिवादीगण की जमीन पर काबिज होना चाहते है।प्रतिवादी[illegible] मारपीट वादीगण सुगनी, अमृत एवं अमृतलाल की पत्नि [illegible] अपने खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि में बाउण्ड्री कर[illegible] को पूर्ण अधिकार है प्रतिवादीगण के इस कृत्य से वादीकण को कोई आघात[illegible] है ना ही कोई अपूर्णीय क्षति है वादीगण ने दावा बदनियति पूर्वक झूठे तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया है विस्तृत तथ्य विशेष विवरण में दर्ज है। प्रतिवादीगण लक्ष्मीचंद ने वादीगण के खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि को दबाते हुए कोई नक्शा प्लाटो का

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Mee
Date: 2026.05.04 13:07:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

नही बनाया है ना ही किसी नक्शे में दिखाये गये प्लाट नं 23 लगायत 35 में वादीगण की करीब 6 फुट चौडाई व 426 फुट लम्बी जमीन को दबाने का इरादा बनाया है वादीगण ने इस मद में समस्त तथ्य मिथ्या दर्ज किये है विस्तृत तथ्य विशेष विवरण में दर्ज है। प्रतिवादीगण द्वारा किसी नक्शे में खसरा नम्बर 6317 व 6304 की जमीन उनके रकवा से अधिक है और यह कथन भी गलत है कि प्रतिवादीगण अपनी भूमि की नाप नही करवाना चाहते है। प्रतिवादीगण अपनी भूमि की नाप करवा चुके है और नाप के अनुरूप ही अपनी भूमि पर काबिज है सत्यता यह है कि वादीगण अपनी रकवे से अधिक की भूमि पर काबिज है और उसके बावजूद भी प्रतिवादीगण की भूमि को दबाना चाहते है। इसी उददेश्य से वादीगण स्वयं की भूमि खसरा नंबर 6311 व 6312 की नाप नही करवाना चाहते है वादी खसरा नंबर 6311 व 6312 की भूमि का विवाद लेकर आये है जो विवाद सदभाविक तौर पर खसरा नंबर 6311 व 6312 की नाप होने से ही स्पष्ट हो जायेगा किन्तु वादीगण अपनी भूमि की नाप नही करा रहे है इस कारण विवाद के न्यायपूर्ण निस्तारण के लिए वादीगण की भूमि खसरा नम्बर 6311 व 6312 की नाप कराया जाना न्यायहित में आवश्यक है जिसके लिए प्रार्थना पत्र पृथक से प्रस्तुत है। हम प्रतिवादीगण को कोई जानकारी नही है किन्तु प्रतिवादी फूलसिंह आराजी खसरा नम्बर 6311 का सहखातेदार काश्तकार है जो जमाबंदी से स्पष्ट है। वादीगण को कोई विनाय मुखासमत दिनांक 23.3.13 को कोई विनाय दावा पैदा नही हुई। प्रतिवादीगण ने वादीगण से कोई झगडा नही किया ना ही किसी डोर को तोडने व अवैध रूप से नीव भरने की धमकी दी वादीगण ने समस्त तथ्य मिथ्या दर्ज किये है। वादीगण ने दावा गलत एवं झूठे तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया है वादीगण के दिल में बेइमानी है और वे हम प्रतिवादीगण की भूमि को दबाना चाहते है प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की भूमि के किसी भी हिस्से को नही दबाया गया है। सत्यता इस प्रकार है कि वादीगण की भूमि खसरा नम्बर 6311 मुताबिक नक्शा ट्रेस उतरी सिरे पर 214 फुट 6 इंच व दक्षिणी सिरे पर 198 फुट है इसी प्रकार खसरा नंबर 6312 उतरी सिरे पर 198 फुट व दक्षिणी सिरे पर 181 फुट 6 इंच है और वादीगण अपने रकवे से अधिक भूमि पर काबिज है किन्तु वादीगण आये दिन हम प्रतिवादीगण की भूमि की मिटटी को खोद कर उसे अपने खेत में मिलाते रहे जिसकी मना करने पर वादीगण झगडा पर आमदा हो जाते है इस कारण प्रतिवादीगण ने अपनी भूमि की पुख्ता बाउण्ड्री [illegible] कराना चाहा वादीगण द्वारा व्यवधान करने पर प्रतिवादीगण ने वादीगण से अपने खेत की नाप करने के लिए कहा तो वादीगण नाप करने को तैयार [illegible] लक्ष्मी व उसकी पत्नी के साथ मारपीट कर दी तथा झूठे तथ्यों के आधार पर दावा [illegible] दिया। वादीगण शुद्ध हस्त नही है यदि प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के खेत की कोई भूमि दबाई जाती तो वादीगण अपने खेतो की नाप अवश्य कराते किन्तु वादीगण अपने खेतो की नाप नही करा रहे है जिससे स्पष्ट है कि वादीगण के दिल में बेईमानी है प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की किसी भूमि को नही दबाया गया है वादीगण ने दावा में

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj
Date: 2026.05.04 13:07:26 IS
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

यह भी अंकित नही किया है कि उनके खेतो की चौडाई पूर्व से पश्चिम कितनी फुट है और उक्त भूमि कहां से शुरू होती है वादीगण का दावा कयासी एवं बेग तथ्यो पर आधारित है और वादीगण क्लीन हैण्ड से नही आये है इस कारण दावा वादी खारिज होने योग्य है। विवादित भूमि खसरा नम्बर 6311 के सहखातेदार पिन्टू को दावा में पक्षकार नही बनाया है जो कि आवश्यक पक्षकार है इस कारण दावा वादी इसी आधार पर खारिज होने योग्य है। वादीगण ने खसरा नम्बर 6304 के सहखातेदारान विधा देवी, रजन, मुरारी लाल, रमादेवी शिवेदई कमलेश शर्मा एवं खसरा नंबर 6304 के सहखातेदार उधा सिंह को दावा में पक्षकार नही बनाया हैं जो कि आवश्यक पक्षकार है और दावा वादीगण इसी आधार पर खारिज होने योग्य है। अंत दावा वादी खारिज किये जाने का निवेदन किया है। प्रतिवादी नंबर 6 द्वारा जबाव दावा प्रस्तुत कर कथन किया है कि खसरा नम्बर 6312 करबा करौली में स्थित होना सही है आराजी बाद ग्रस्त में प्रतिवादी सं. 6 का हिस्सा 1/4 स्वीकृत रूप से है। बादग्रस्त आराजी में पूर्व सहखातेदार फूलसिंह गूजर द्वारा अपना हिस्सा 1/4 प्रतिवादी संख्या 6 को रजिस्टर्ड वयनामा द्वारा वय कर आराजी में अपने हिस्से पर प्रतिवादी संख्या 6 का कब्जा काश्त कराया अन्य तफसील उज्रात मजीद में दर्ज की जा रही है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 4 के बीच पूर्व से दावा लंबित है जिसको देरीना करने की बदयान्ति से राजस्व मण्डल अजमेर में झूठे व मनगंढत वाकियात पर रिवीजन वादीगण द्वारा पेश किया है सही है वकिया इबारत बिल्कुल गलत है आराजी मुतदाविया में प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा अपना हिस्सा 1/4 बजरिये रजिस्टर्ड बयनामा प्रतिवादी संख्या 6 को बेचान कर कब्जा वाकई प्रतिवादी संख्या 6 का कराया है जो बदस्तूर है आज भी प्रतिवादी संख्या 6 के हिस्से की भूमि 1/4 में प्रतिवादी संख्या 6 की फसल गेहूं खडी है। असलियत उज्रात मजीद से रोशन होगीं। प्रतिवादी आराजी मुतदाविया में अपने हिस्से 1/4 की भूमि पर शांति पूर्व काश्त कर रहा है प्रतिवादी संख्या 6 द्वारा कोई डोल तोडने अथवा नींव भरने की कोई नही दी न ही वादीगण को प्रतिवादी संख्या 6 के विरूद कोई बाद कारण पैदा हुआ है दावा वादीगण प्रतिवादी संख्या 6 की सहमा तक खारिज होने योग्य है। वादीगण प्रतिवादी सं.4 व 6 के विरूद कोई अनुतोष पाने के अधिकारी नही है दावा वादीगण खारिज होने योग्य है। आराजी मुतदाविया में 1/4 हिस्सा प्रेम वगैरह जाति कुम्हार का खातेदारी व कब्जा काश्त की रहा जिसने अपना हिस्सा 1/4 फूलसिंह कमलसिंह गूजर प्रतिवादी संख्या 4 को बजरिये रजिस्टर्ड वयनामा बेचान की और कब्जा 1/4 हिस्से का फूलसिंह को संभलवाया जो अपने हिस्से की भूमि पर शांति पूर्वक काबिज रह काश्त करता रहा। वादीगण द्वारा जमीनों की कीमते बढ जाने व प्रतिवादी वादी संख्या 4 की खाते व कब्जे की भूमि को हडपने के लिये एक मनगढंत व झूठे वाकियात नर दावा अदालत श्रीमानजी में कर दिया जिसमें सवयं वादिया सुगनी का शपथ पत्र दिनांक 21/12/09 को बेचान हो चुका है जिसमें वादिया ने स्वीकार यिका है कि बादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 6311 में 1/4 हिस्सा फूलसिंह की

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem R
Date: 2026.05.04 13:07:26
Reason: SelfAttested

खातेदारी में हैवादिया ने अपने शपथ बयान में यह भी स्वीकार किया है फूलसिंह से झगडा करती हूं यह बात सही है कि 1/4 हिस्सा फूलसिंह में भी गेहूं हो रहे है यह बात सही है कि फूलसिंह को भूमाफियाओं की साजिश के तहत खेती नही करने देना चाहती हूं यह बात सही है कि मै भूमाफियाओं के संरक्षण में फूलसिंह की जमीन हडपना चाहती हूं। इस प्रकार असलियत वादिया द्वारा स्वीकृत करने के बाद कानूनी लोगों से मशवरा कर रिकार्ड पर आई असलियत को छिपाने की बदयाान्ति से झूठे वाकियान पर दूसरा दावा कर प्रतिवादी संख्या 4 व 6 को आवश्यक पक्षकार बनाया है। फुलसिंह पुत्र कमलसिंह ने वादग्रस्त आराजी खसरा नं0 6311 में अपना हिस्सा 1/4 प्रतिवादी संख्या 6 को बजरिये रजिस्टर्ड बयनामा बेचान कर कब्जा प्रतिवादी संख्या 6 का करा दिया जो शांति पूर्वक अपने हिस्से की भूमि में काश्त करता आ रहा है आज भी प्रतिवादी के हिस्से की भूमि हिस्सा 1/4 में प्रतिवादी संख्या 6 की गेहूं की फसल खडी हुई है। वादीगण अन्य में अलावा प्रतिवादी संख्या 6 की हिस्से की भूमि 1/4 को झूठे दावे का दवाब बनाकर हडपना चाहती है दावा वादीगण ओडर 7 रूल 11 सी.पी. सी. के प्रावधानाधीन मेन्टेनिविल ने होने के कारण खारिज होने योग्य है दर. ओर्डर 7 रूल 11 अलग से पेश की जा रही है। अंत में दावा वादी खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वादीगण व प्रतिवादीगण के अभिवचनों के आधार पर निम्न विवाद्यक बिन्दू विरचित किये गये है:–

1. आया वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 6311, 6312 कुल किता 2 कुल रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा कस्बा करौली तहसील करौली वादीगण के खातेदारी व कब्जे काश्त की है। वादीगण प्रतिवादीगण से 60x4 फुट लम्बाई चौड़ाई की भूमि पर लिये गये अवैध कब्जा को हटवाकर दखल कराकर कब्जा वापिस प्राप्त करने के अधिकारी है।

––वादीगण

2. आया दावा वादीगण वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार है। वादीगण प्रतिवादीगण के स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी है।

––वादीगण

3. आया दावा वादीगण वादकारण के अभाव में चलने योग्य नहीं है।

––प्रतिवादीगण

4. अनुतोष :–

वाद विवाद्यक बिन्दू वादी साक्ष्य ली गई। वादी ने अपनी मौखिक साक्ष्य में वादी गोपाल पीडब्ल्यू–1 के बयान लेखबद्व कराये है एवं दस्तावेजी सबूत में जमाबंदी संवत 2068–71 प्रदर्श–1, जमाबंदी संवत 2064–67 प्रदर्श–2,

Signature Not Verifie
Digitally signed by Prem
Date: 2026.05.04 13:07:2
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

जमाबंदी संवत 2064–67 प्रदर्श–3, जमाबंदी संवत 2076–79 प्रदर्श–4, फोटो प्रदर्श–5 लगायत 8 पेश कर प्रदर्शित कराये है। साक्ष्यवादी समाप्त की जाकर बंद की गई।

प्रतिवादीगण ने अपनी मौखिक साक्ष्य में लक्ष्मीचंद डीडब्ल्यू–1 के बयान लेखबद्ध कराये है एवं दस्तावेजी सबूत में नक्शा ट्रेस प्रदर्श ए–1, जमाबंदी संवत 2068–71 प्रदर्श ए–2, जमाबंदी संवत 2068–71 प्रदर्श ए–3, जमाबंदी संवत 2068–71 प्रदर्श ए–4, जमाबंदी संवत 2068–71 प्रदर्श ए–5, पेश कर प्रदर्शित कराये है। साक्ष्यप्रतिवादी समाप्त की जाकर बंद की गई।

बहस वकील वादी सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील वादीगण का बहस में कथन है कि वादीगण की खातेदारी व कब्जाकाश्त की भूमि आराजी खसरा नं0 6311 रकवा 1 वीघा 11 विस्वा एवम खसरा नं0 6312 रकवा 1 वीघा 11 विस्वा बाके कस्बा करौली तहसील करौली में स्थित है जिसको वादीगण करीब 30–35साल पुराने समय से लगातार काश्त करते चले आ रहे है और तभी से खातेदारी व कब्जाकाश्त में वादीगण चला आ रहा है। प्रमाण में जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत है। वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा नं0 6311 व 6312 के पडोस में जमीन आराजी खसरा नं0 6304 व 6317 स्थित है जो वादीगण की जमीन से करीब एक फुट निचाई पर है और वादीगण की जमीन की सीमा पर मिट्टी की डोल बनी हुई है। जिसको प्रतिवादी लक्ष्मीचंद ने दिनांक 18.3.13 को भूमाफियाओं को ले जाकर अवैध रूप से जेसीबी चलाकर मोके पर नष्ट कर दिया और प्रार्थी की खातेदारी वादिशा उत्तर पश्चिम दावा के साथ संलग्न नक्शे में नाले गडडू तक स्थित है जिसमें अवैध रूप से प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 ताकत के बल पर वादीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि में पूर्व से पश्चिम तक वादीगण की जमीन को दबाते हुए नींव भरने पर उतारू है क्योंकि वादीगण की खातेदारी व कब्जाकाश्त की उक्त विवादित जमीन को करीब छह फुट चौडाई में पूर्व से पश्चिम से दबाकर कब्जा केरने पर तुले हुए है। दिनांक 18.3.13 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem
Date: 2026.05.04 13:07:2
Reason: SelfAttested

पुलिस में रिपोर्ट करने पर वामुशकिल रूके हैं। किन्तु अब दिनांक 23.3.13 को ऐलानिया धमकी दे चुके है कि हम तो उक्त वादीगण की खातेदारी कब्जाकाश्त की जमीन को लटठ के बल पर दबाकर नींच भरेंगे और वादीगण सुगनी अमृतलाल एवम अमृतलाल की पत्नि कमला से मारपीट कर चुके हैं। जिसकी रिपोर्ट थाना करौली में लंबित हैं। और आये दिन झगडा करने पर उतारू है मौके पर नींव भरने के लिए प्रतिवादीगण ने खण्डे भी डाल दिये हैं। जो वादपात्र में पेश फोटो से स्पष्ट है। इसलिए प्रतिवादीगण के इस प्रकार के कृत्य से वादीगण के हको पर भारी आघात है और अपूर्णीय क्षति है और इसलिए दावा पेश करना आवश्यक हुआ है। प्रतिवादी लक्ष्मीचंद ने हमारी खातेदारी व कब्जाकाश्त की भूमि को दबाते हुए प्लॉटो का गलत नक्शा जवाहर नगर के नाम से कशीद किया है। इसमें दिखाये गये प्लाट नम्बर 23 लगायत 35 हम वादीगण की करीब 6 फुट चौडाई एवं 426 फुट लम्बी जमीन को दबाने का इरादा बनाये हुए है इसलिए प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद कराने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण द्वारा आराजी खसरा नम्बर 6317 व 6304 के प्रस्तुत नक्शा में दर्शायी जमीन इलाके रकवे से अधिक है मौके के अनुसार बनाना बताये गया है जो गलत है। इसकी नाप भी कराने को तैयार नही है। क्योंकि वादीगण की खातेदारी व कब्जाकाश्त की जमीन को दबाने की बदयान्ति है। प्रतिवादी नं0 4 फूलसिंह व वादीगण मध्य आराजी खसरा नं 6311 बाबत् पूर्व से न्यायालय हाजा में दावा लंबित है। और गलत खातेदारी के आधार पर वादीगण से झगडा कर रहा है। इस संबंध में मु... प्रकरण राजस्व मण्डल अजमेर में लंबित है किन्तू जमाबंदी में नाम दर्ज होने की वजह से पक्षकार बनाया गया है। खातेदारी गलत तौर पर दर्ज कराई है। अंतः में दावा वादी डिक्री किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Ra
Date: 2026.05.04 13:07:26
Reason: SelfAttested

वकील प्रतिवादीगण का बहस में कथन है कि आराजी खसरा नम्बर 6311 रकवा 1 वीघा 11 विस्वा एक मात्र वादीगण के खातेदारी व कब्जे काश्त की नही है अपितु उक्त आराजी वादीगण एवं पिन्टू पुत्र श्यामलाल एवं प्रतिवादी सं 4 फूलसिंह के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी है जो राजस्व जमाबंदी से स्पष्ट है किन्तु वादीगण ने इस तथ्य को छिपाया है और सहखातेदार पिन्टू को दावा में पक्षकार नही बनाया है वादीगण शुद्व हस्त से न्यायालय में नही आये है जो तथ्य दस्तावेज प्रमाण जमाबंदी से स्पष्ट है। आराजी खसरा नम्बर 6311 व 6312 के पडोस में प्रतिवादीगण की आराजी खसरा नम्बर 6304 व 6317 होना सही है शेष तथ्य जिस प्रकार तहरीर किये है गलत है स्वीकार नही। वादीगण एवं प्रतिवादीगण की भूमि के लेविल में एक फिट का अन्तर नही है ना ही वादीगण की जमीन की सीमा पर कोई मिटटी की डौल है ना ही प्रतिवादी लक्ष्मीचंद ने दिनांक 18.3.13 को किसी भूमाफिया को ले जाकर अवैध रूप से जेसीवी चलाकर डौल को मोके पर नष्ट किया हैना ही वादीगण की खातेदारी वदिशा उतर मिथ्या दर्ज किये है। वादीगण का यह कथन भी गलत है कि प्रतिवादी सं 1 ता 4 लटठ के बल पर वादीगण के खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि में पर्वू से पश्चिम तक वादीगण की जमीन को दबाते हुऐ नीव भरने पर उतारू है और वादीगण का यह कथन भी गलत है कि प्रतिवादीगण वादीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की उक्त विवादित जमीन को करीब 6 फुट चौडाई में पूर्व से पश्चिम से दबाकर कब्जा करने पर तुले हुए है वादीगण का यह कथन भी गलत है कि प्रतिवादीगण दिनांक 18.3.13 को पुलिस रिपोर्ट करने पर व मुश्किल रूके है और दिनांक 23.3.13 को ऐलानिया धमकी दे चुके कि नींव भरेगें। वादीगण ने उक्त समस्त तथ्य मिथ्या दर्ज किये है। सत्यता यह है कि वादीगण अत्यंत चालाक एवं लडाकू किस्म के व्यक्ति है और अपने खेत की जमीन से अधिक जमीन पर काबिज काश्त है। इसके बावजूद भी वादीगण हम प्रतिवादीगण की भूमि को दबाकर उस पर कब्जा करना चाहते है और इसी उददेश्य से वादीगण ने प्रतिवादी लक्ष्मीचंद व उसकी पत्नि के साथ मारपीट की जिसका मुकदमा दर्ज हुआ है तथा प्रतिवादीगण की जमीन को दबाने के उददेश्य से ही

Signature Not Verifie
Digitally signed by Prem
Date: 2026.05.04 13:07:2
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

(24)

वादीगण ने झूठे तथ्यों के आधार पर यह दावा पेश किया है प्रतिवादीगण ने अपनी एवं वादीगण की भूमि की नाप कराने के लिए वादीगण से कई बार कहा तो वादीगण नाप नही होने देते है और मनमर्जी से प्रतिवादीगण की जमीन पर काबिज होना चाहते है।प्रतिवादीगण ने कोई मारपीट वादीगण सुगनी, अमृत एवं अमृतलाल की पत्नि से नही की है। प्रतिवादीगण अपने खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि में बाउण्ड्री करा रहे है जिसका प्रतिवादीगण को पूर्ण अधिकार है प्रतिवादीगण के इस कृत्य से वादीकण को कोई आघात नही है ना ही कोई अपूर्णीय क्षति है वादीगण ने दावा बदनियति पूर्वक झूठे तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया है विस्तृत तथ्य विशेष विवरण में दर्ज है। प्रतिवादीगण लक्ष्मीचंद ने वादीगण के खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि को दबाते हुए कोई नक्शा प्लाटो का नही बनाया है ना ही किसी नक्शे में दिखाये गये प्लाट नं 23 लगायत 35 में वादीगण की करीब 6 फुट चौडाई व 426 फुट लम्बी जमीन को दबाने का इरादा बनाया है वादीगण ने इस मद में समस्त तथ्य मिथ्या दर्ज किये है विस्तृत तथ्य विशेष विवरण में दर्ज है। प्रतिवादीगण द्वारा किसी नक्शे में खसरा नम्बर 6317 व 6304 की जमीन उनके रकवा से अधिक है और यह कथन भी गलत है कि प्रतिवादीगण अपनी भूमि की नाप नही करवाना चाहते है। प्रतिवादीगण अपनी भूमि की नाप करवा चुके है और नाप के अनुरूप ही अपनी भूमि पर काबिज है सत्यता यह है कि वादीगण अपनी रकवे से अधिक की भूमि पर काबिज है और उसके बावजूद भी प्रतिवादीगण की भूमि को दबाना चाहते है। इसी उददेश्य से वादीगण स्वयं की भूमि खसरा नंबर 6311 व 6312 की नाप नही करवाना चाहते है वादी खसरा नंबर 6311 व 6312 की भूमि का विवाद लेकर आये है जो विवाद सदभाविक तौर पर खसरा नंबर 6311 व 6312 की नाप होने से ही स्पष्ट हो जायेगा किन्तु वादीगण अपनी भूमि की नाप नही करा रहे है इस कारण विवाद के न्यायपूर्ण निस्तारण के लिए वादीगण की भूमि खसरा नम्बर 6311 व 6312 की नाप कराया जाना न्यायहित में आवश्यक है जिसके लिए प्रार्थना पत्र पृथक से प्रस्तुत है। हम प्रतिवादीगण को कोई जानकारी नही है किन्तु प्रतिवादी फूलसिंह आराजी खसरा नम्बर 6311 का सहखातेदार काश्तकार है जो जमाबंदी से

Signature Not Veri
Digitally signed by Pre
Date: 2026.05.04 13:07
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कपासन (राज०)

स्पष्ट है। वादीगण को कोई विनाय मुखासमत दिनांक 23.3.13 को कोई विनाय दावा पैदा नही हुई। प्रतिवादीगण ने वादीगण से कोई झगडा नही किया ना ही किसी डोर को तोडने व अवैध रूप से नीव भरने की धमकी दी वादीगण ने समस्त तथ्य मिथ्या दर्ज किये है। वादीगण ने दावा गलत एवं झूठे तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया है वादीगण के दिल में बेइमानी है और वे हम प्रतिवादीगण की भूमि को दबाना चाहते है प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की भूमि के किसी भी हिस्से को नही दबाया गया है। सत्यता इस प्रकार है कि वादीगण की भूमि खसरा नम्बर 6311 मुताबिक नक्शा ट्रेस उतरी सिरे पर 214 फुट 6 इंच व दक्षिणी सिरे पर 198 फुट है इसी प्रकार खसरा नंबर 6312 उतरी सिरे पर 198 फुट व दक्षिणी सिरे पर 181 फुट 6 इंच है और वादीगण अपने रकवे से अधिक भूमि पर काबिज है किन्तु वादीगण आये दिन हम प्रतिवादीगण की भूमि की मिटटी को खोद कर उसे अपने खेत में मिलाते रहे जिसकी मना करने पर वादीगण झगडा पर आमदा हो जाते है इस कारण प्रतिवादीगण ने अपनी भूमि की पुख्ता बाउण्ड्री बाल कराना चाहा वादीगण द्वारा व्यवधान करने पर प्रतिवादीगण ने वादीगण से अपने खेतो की नाप करने के लिए कहा तो वादीगण नाप करने को तैयार नही हुए और प्रतिवादी लक्ष्मी व उसकी पत्नी के साथ मारपीट कर दी तथा झूठे तथ्यों के आधार पर दावा कर दिया। वादीगण शुद्व हस्त नही है यदि प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के खेत की कोई भूमि दबाई जाती तो वादीगण अपने खेतो की नाप अवश्य कराते किन्तु वादीगण अपने खेतो की नाप नही करा रहे है जिससे स्पष्ट है कि वादीगण के दिल में बेईमानी है प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की किसी भूमि को नही दबाया गया है वादीगण ने दावा में यह भी अंकित नही किया है कि उनके खेतो की चौडाई पूर्व से पश्चिम कितने फुट है और उक्त भूमि कहां से शुरू होती है वादीगण का दावा कयासी एवं बे तथ्यो पर आधारित है और वादीगण क्लीन हैण्ड से नही आये है इस कारण दावा वादी खारिज होने योग्य है। विवादित भूमि खसरा नम्बर 6311 के सहखातेदार पिन्टू को दावा में पक्षकार नही बनाया है जो कि आवश्यक पक्षकार है इस कारण दावा वादी इसी आधार पर खारिज होने योग्य है। वादीगण ने खसरा नम्बर 6304 के

Signature Not Verifie
Digitally signed by Prem
Date: 2026.05.04 13:07:2
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

सहखातेदारान विधा देवी, रजन, मुरारी लाल, रमादेवी शिवेदई कमलेश शर्मा एवं खसरा नंबर 6304 के सहखातेदार उधा सिंह को दावा में पक्षकार नही बनाया हैं जो कि आवश्यक पक्षकार है और दावा वादीगण इसी आधार पर खारिज होने योग्य है। अंत दावा वादी खारिज किये जाने का निवेदन किया है। खसरा नम्बर 6312 करवा करौली में स्थित होना सही है आराजी बाद ग्रस्त में प्रतिवादी सं. 6 का हिस्सा 1/4 स्वीकृत रूप से है। बादग्रस्त आराजी में पूर्व सहखातेदार फूलसिंह गूजर द्वारा अपना हिस्सा 1/4 प्रतिवादी संख्या 6 को रजिस्टर्ड वयनामा द्वारा वय कर आराजी में अपने हिस्से पर प्रतिवादी संख्या 6 का कब्जा काश्त कराया अन्य तफसील उज्रात मजीद में दर्ज की जा रही है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 4 के बीच पूर्व से दावा लंबित है जिसको देरीना करने की बदयान्ति से राजस्व मण्डल अजमेर में झूठे व मनगंढत वाकियात पर रिवीजन वादीगण द्वारा पेश किया है सही है वकिया इबारत बिल्कुल गलत है आराजी मुतदाविया में प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा अपना हिस्सा 1/4 बजरिये रजिस्टर्ड बयनामा प्रतिवादी संख्या 6 को बेचान कर कब्जा वाकई प्रतिवादी संख्या 6 का कराया है जो बदस्तूर है आज भी प्रतिवादी संख्या 6 के हिस्से की भूमि 1/4 में प्रतिवादी संख्या 6 की फसल गेहूं खडी है। असलियत उज्रात मजीद से रोशन होगीं। प्रतिवादी आराजी मुतदाविया में अपने हिस्से 1/4 की भूमि पर शांति पूर्व काश्त कर रहा है प्रतिवादी संख्या 6 द्वारा कोई डोल तोडने अथवा नींव भरने की कोई नही दी न ही वादीगण को प्रतिवादी संख्या 6 के विरूद कोई बाद कारण पैदा हुआ है दावा वादीगण प्रतिवादी संख्या 6 की सहमा तक खारिज होने योग्य है। वादीगण प्रतिवादी सं. 4 व 6 के विरूद कोई अनुतोष पाने के अधिकारी नही है दावा वादीगण खारिज होने योग्य है। आराजी मुतदाविया में 1/4 हिस्सा प्रेम वगैरह ज[illegible] कुम्हार का खातेदारी व कब्जा काश्त की रहा जिसने अपना हिस्सा 1/4 फूलसिंह पुत्र कमलसिंह गूजर प्रतिवादी संख्या 4 को बजरिये रजिस्टर्ड वयनामा बेचान की और कब्जा 1/4 हिस्से का फूलसिंह को संभलवाया जो अपने हिस्से की भूमि पर शांति पूर्वक काबिज रह काश्त करता रहा। वादीगण द्वारा जमीनों की कीमते बढ जाने व प्रतिवादी वादी संख्या 4 की खाते व कब्जे की भूमि को हडपने के लिये एक

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem P
Date: 2026.05.04 13:07:2
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

मनगढंत व झूठे वाकियात नर दावा अदालत श्रीमानजी में कर दिया जिसमें सवयं वादिया सुगनी का शपथ पत्र दिनांक 21/12/09 को बेचान हो चुका है जिसमें वादिया ने स्वीकार यिका है कि बादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 6311 में 1/4 हिस्सा फूलसिंह की खातेदारी में हैवादिया ने अपने शपथ बयान में यह भी स्वीकार किया है फूलसिंह से झगडा करती हूं यह बात सही है कि 1/4 हिस्सा फूलसिंह में भी गेहूं हो रहे है यह बात सही है कि फूलसिंह को भूमाफियाओं की साजिश के तहत खेती नही करने देना चाहती हूं यह बात सही है कि मै भूमाफियाओं के संरक्षण में फूलसिंह की जमीन हो हडपना चाहती हूं। इस प्रकार असलियत वादिया द्वारा स्वीकृत करने के बाद कानूनी लोगों से मशवरा कर रिकार्ड पर आई असलियत को छिपाने की बदयाान्ति से झूठे वाकियान पर दूसरा दावा कर प्रतिवादी संख्या 4 व 6 को आवश्यक पक्षकार बनाया है। फुलसिंह पुत्र कमलसिंह ने वादग्रस्त आराजी खसरा नं0 6311 में अपना हिस्सा 1/4 प्रतिवादी संख्या 6 को बजरिये रजिस्टर्ड वयनामा बेचान कर कब्जा प्रतिवादी संख्या 6 का करा दिया जो शांति पूर्वक अपने हिस्से की भूमि में काश्त करता आ रहा है आज भी प्रतिवादी के हिस्से की भूमि हिस्सा 1/4 में प्रतिवादी संख्या 6 की गेहूं की फसल खडी हुई है। वादीगण अन्य में अलावा प्रतिवादी संख्या 6 की हिस्से की भूमि 1/4 को झूठे दावे का दवाब बनाकर हडपना चाहती है। अंत में दावा वादी खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

बहस वकील उभयपक्ष का मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड साक्ष्य का विवेचन कर अवलोकन किया गया। प्रकरण का तनकीवार विवेचन किया जाना उचित है। तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार है।

Signature Not Verifie
Digitally signed by Prem
Date: 2026.05.04 13:07:2
Reason: SelfAttested

विवाद्यक संख्या 1 को साबित करने का भार वादीगण पर है। वादी ने इस विवाद्यक के संबंध में नकल जमाबंदी संवत 2068–71 प्रदर्श–1, संवत 2064–67 प्रदर्श–2 व 3 एवं जमाबंदी संवत 2076–79 प्रदर्श–4 व फोटो प्रदर्श–5 लगायत 8 पेश की है जिनसे भूमि खसरा नंबर 6311 वादीगण व

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

प्रतिवादी नंबर 4 व 6 के संयुक्त खातेदारी की है एवं खसरा नंबर 6312 वादीगण के खातेदारी की है। वादीगण द्वारा भूमि का कोई सीमाज्ञान आज दिवस तक नहीं करवाया गया है। जिससे 60X4 फुट चौडाई में प्रतिवादीगण द्वारा अतिक्रमण किया गया हो और निर्माण किया गया हो साबित नहीं होता है। जिसके खण्डन में प्रतिवादीगण द्वारा अपनी मौखिक साक्ष्य में प्रतिवादी लक्ष्मीचंद डीडब्ल्यू–1 का बयान लेखबद्व कराया है जिसमें अपना निर्माण खसरा नंबर 6304 में होना बताया है एवं भूमि पर अपना कब्जा होना बताया है और स्वंय वादी ने अपनी जिरह में स्वीकार है कि खसरा नंबर 6311 के सहखातेदार पिन्टू को पक्षकार नहीं बनाया है एवं खसरा नंबर 6304 में विद्या देवी, रजनी, मुरारीलाल, रमादेवी, शिवदेई, कमलेश सह खातेदार हो तो मुझे पता नहीं। यह भी स्वीकार किया है कि मैने प्रकरण में खसरा नंबर 6304 के सह खातेदारान को पक्षकार नहीं बनाया गया है। इस प्रकार वादी खसरा नंबर 6311 के संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा किये जाने के तथ्य को एवं निर्माण करने के तथ्य को साबित करने में असफल रहा है। अतः विवाद्यक संख्या 1 वादीगण के विरूद्व प्रतिवादीगण के पक्ष में तय कर निर्णित किया जाता है।

विवाद्यक संख्या 2 को साबित करने कर भार वादीगण पर है। वादीगण ने इस संबंध में नकल जमाबंदी संवत 2064–67 प्रदर्श–3 पेश की है। जिसमें वादीगण के अलावा पिन्टू पुत्र श्यामलाल सह खातेदार दर्ज है। जिससे वादी ने प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया है। जबकि पिन्टू प्रकरण में आवश्यक फरीक सह खातेदार होने से है। वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य वि[illegible] खसरा नंबर 6311 के संबंध में है। इस प्रकार वादीगण संपूर्ण आराजी के खातेदार काश्तकार नहीं है। बिना पिन्टू को पक्षकार बनाये वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के हकदार नहीं है। अतः

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem
Date: 2026.05.04 13:07:2
Reason: SelfAttested

विवाद्यक संख्या 2 वादीगण के विरूद्ध प्रतिवादीगण के पक्ष में तय कर निर्णित किया जाता है।

विवाद्यक संख्या 3 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादीगण ने अपना निर्माण खसरा नंबर 6304 में होना बताया है। जिसमें प्रतिवादीगण के अलावा विद्या देवी, रजनी देवी, मुरारीलाल, रमादेवी, शिवदेई, कमलेश सहखातेदार जमाबंदी प्रदर्श–2 में दर्ज है। इस प्रकार वादीगण को खसरा नंबर 6304 को सह खातेदारों को बिना पक्षकार बनाये प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादकारण उत्पन्न नहीं होता है। अतः विवाद्यक संख्या 3 प्रतिवादीगण के पक्ष में वादीगण के विरूद्ध तय कर निर्णित किया जाता है।

विवाद्यक संख्या 4 अनुतोष है। विवाद्यक संख्या 1 ता 3 के विवेचन से खसरा नंबर 6311 के खातेदार वादीगण के अलावा पिन्टू पुत्र श्यामलाल है। जिसे वादीगण ने दावा में पक्षकार नहीं बनाया है एवं वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य सीमा विवाद खसरा नंबर 6311 व 6304 की सीमा मिली हुई होने से है। इस संबंध में वादीगण ने कोई सीमाज्ञान आराजी खसरा नंबर 6311 का आज दिवस तक नहीं कराया है और वादीगण ने अपनी आराजी की कोई लम्बाई–चौडाई कितनी फुट है यह भी दावे में दर्ज नहीं किया है एवं खसरा नंबर 6304 के खातेदारान को भी वादीगण ने दावे में पक्षकार नहीं बनाया है। इसलिए दावा वादीगण पक्षकारों के कुसंयोजन के आधार पर एवं वादकारण के अभाव में चलने योग्य नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Me
Date: 2026.05.04 13:07:26 IST
Reason: SelfAttested

अतः दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवा[illegible] है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी [illegible]

निर्णय आज दिनांक 30/1/26.....को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(प्रेमराज मीना)
उपखण्ड अधिकारी,
करौली